

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत उपखण्ड अजमेर मुकाम लखनौ
 सरदार लालो नरखीलाल लाल बनाम अरब रानी व अन्य
 किस्म मुकदमा जर्जनापन नं. सन्
 2021/330

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
20/6/2023	<p>पत्रावली पेश हुई। राजपरोवार व वकील अजमेरिग ने उपस्थित। अजमेरिग की वक्त से उनके अधिवक्ता ने स्व जर्जनापन पेश कर निर्देश किया है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 49 की भूमि की जोर छोटी है तथा उसमें खलेदार अजमेरिग अधिक संख्या में होने से अजमेरिग के एक छह हिस्से में भाँखिक बंट के अनुसार छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि हिस्सा बाँट दिए हैं। छोटे टुकड़ों हिस्से में होने से खेती सम्भव नहीं है। और जमीन शहर से नजदीक होने से कुछ अजमेरिग ने अपने भाँखिक बंट के एक हिस्से के सुरक्षा की दृष्टि से चार कीचड़ी बनायी हुई है तथा शेष भूमि खाली पड़ी है। अजमेरिग उक्त चार कीचड़ी उक्त भूमि का अधिव्य में प्रदान बनाने हेतु भू-स्वातंत्र्य करवाने एवं भूमिस्वातंत्र्य शर्तों का जमा करवाने के लिए तैयार हैं। इस बाबत उन्होंने भू-स्वातंत्र्य हेतु आवेदन करके लखनौ न्यायिक से सम्पर्क किया है। अजमेरिग को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पर धारा 177 RTA के तहत स्वामन है। इस वजह से अजमेरिग उक्त भूमि का भू-स्वातंत्र्य नहीं करवा पा रहे हैं। अतः भूमि खसरे से राजस्व नमाशर्तों की अधिनियम 1955 की धारा 177 की कार्यवाही निरस्त करमाई जाए। ताकि उक्त भूमि का भू-स्वातंत्र्य हेतु बैंक व राज्य सरकार को भी आय हो सके। भू-स्वातंत्र्य आवेदन पर पेश किया जो शामिल फावली है।</p>	

लखनौ ११

